17/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। का.प्र.
एवं संलग्न [illegible] फोटो व रा० नि० निरीक्षक बांदीकुई
व पटवारी हल्का [illegible] रिपोर्ट दि० 9-3-22
का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष बहस पर
मनन करने एवं उपरोक्त अवलोकन के आधार पर
वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता
है। अतः वादी वाद दावा दुरुस्ती इन्द्राज काबिल
नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली [illegible] सुनाया होकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] 17/5/24
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:— 149/2018

प्रकरण दायर दिनांक:— 13.07.2018

प्रकरण निर्णय दिनांक:— 17.05.2024

उनवान

राजाराम पुत्र मूलचन्द उम्र वर्ष जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बसवा हाल तहसील बॉदीकुई।

दावा दुरूस्ती इन्द्राज वादी का नाम

वादी द्वारा वाद पत्र दावा दुरूस्ती इन्द्राज वादी का नाम इस आशय का पेश किया कि भूमि आराजी खतौनी सं. नई 105, पुरानी 91 के खसरा नं. 192 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 192/1246 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित रामा श्यालावास कला तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा है भूमि मुतदाविया पैरा नं. 01 वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने सहवन से वादी का नाम राजाराम के स्थान पर भगवान सहाय दर्ज कर दिया, जबकि भगवान सहाय जो वादी के चाचा रामहेत का लडका है। वादी के पिता मूलचन्द के भगवान सहाय नाम का कोई लडका नही है। वादी ही अपने पिता मूलचन्द का पुत्र है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने वादी का नाम राजाराम की जगह भगवान सहाय दर्ज कर दिया, वादी ही भूमि मुतदाविया पर अरसे दराज बुजुर्गान से काश्त करता चला आ रहा है तथा भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने राजाराम पुत्र मूलचन्द की बजाय भगवान सहाय पुत्र मूलचन्द रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो कि गलत है। ग्राम श्यालावास कलां मे भगवान सहाय पुत्र मूलचन्द नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मूलचन्द के केवल वादी राजाराम ही पुत्र है। वादी के सभी दस्तावेजात राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि तथा ग्राम श्यालावास कलां की अन्य भूमि जिसके खाता संख्या नया 167 पुराना 157 में भी वादी का नाम राजाराम पुत्र मूलचन्द अंकित है तथा वादी के पिता मूलचन्द का पुत्र वादी राजाराम ही है। उनके भगवान सहाय नाम का कोई पुत्र नही है। लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियो ने वादी का नाम राजाराम पुत्र मूलचन्द के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र मूलचन्द दर्ज कर दिया। वादी का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज नही होने के कारण वादी को भारी अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है जिसकी पूर्ति सम्भव नही है। जिसके कारण वादी अपने जायज अधिकारों से वंचित

हो रहा है। वादी केवल साक्षर है, कम पढ़ा लिखा है राजस्व रिकार्ड के बारे में कम समझता है वादी को अपने राजस्व रिकार्ड अपने नाम की गलती की पूर्व में कोई जानकारी नही रही है। वादी ने अब अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के लिए निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने दिनांक 18.06.2018 को बताया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजाराम के स्थान पर भगवान सहाय दर्ज हो रहा है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का से अपने नाम दुरूस्त करने के लिए कहा तो पटवारी हल्का ने वादी से कहा कि आप अपने नाम की दुरूस्ती का न्यायालय से आदेश लेकर आओं तभी आपका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त होगा। जिस पर वादी दिनांक 18.06.2018 को ही प्रतिवादी के कार्यालय में अपने नाम की दुरूस्ती करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन प्रतिवादी ने नाम दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया। इस कारण वादी को सिवाया दावा हाजा पेश करने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आया।

अतःवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि आराजी खतौनी सं. नई 105, पुरानी 91 के खसरा नं. 192 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 192/1246 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित रामा श्यालावास कला तहसील बसवा हाल तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में वादी का गलत नाम भगवान सहाय को हजफ किया जाकर वादी का सही नाम राजाराम पुत्र मूलचन्द दर्ज जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में किया जावे। इस अमर की दुरूस्ती बहक वादी फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बॉदीकुई ने प्रकरण में भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलॉ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकः 09.03.2022 को ही बहस समझा जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में वादी वकील बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। पैरोकार सरकार ने बहस में पत्रावली में उक्त भूमि के संबंध में साबिक रिपोर्ट यथा आवंटन पत्रावली, साबिक जमाबंदी, नामान्तकरण की नकल इत्यादि शामिल नहीं होने के कारण प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट किया जाना संभव नहीं बताया तथा पत्रावली खारिज योग्य बतायी है। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात व भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलॉ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकः 09.03.2022 का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवलोकन से प्रकट है कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिनके अभाव में वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात व भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलॉ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकः 09.03.2022 के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा दुरूस्थी इन्द्राज वादी का नाम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/5/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई